

**न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख अधिकारी, धोरीमना
(जिला बाड़मेर) राज.**

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या : 12/2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अशोक कुमार पुत्र मफतलाल जाति जैन निवासी रुम नम्बर 2402, 24वां पलोर अर्थ कासल बिल्डिंग वीपी रोड फडके मन्दिर के पास गिरगांव मुम्बई महाराष्ट्र		1. खतीजो पत्नी सोना 2. मुबारक खान पुत्र खबड़ खान 3. सलीम खां पुत्र सोना 4. अनवर पुत्र सोना 5. सरियत पत्नी उस्मान जाति मुसलमान निवासी दुधिया कला तहसील धोरीमन्ना 6. थानाधिकारी, पुलिस थाना धोरीमन्ना 7. प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी (एनएचएआई) जे-2 मालाणी कर्मचारी, भूरटिया रोड बलदेव नगर बाड़मेर 8. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु : 19.01.2024

अधिवक्ता :- श्री भोमाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी

-: : निर्णय : :-

दिनांक : 20.03.2024

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भोमाराम चौधरी द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खाता संख्या 6 खसरा नम्बर 55/1 रकबा 3.8850 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा संख्या 59 रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा मांगता पटवार मण्डल मांगता तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के सेढ़ा-सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी खेतों के सेढ़ों के लेकर आपस में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काश्त के समय विप्रार्थीगण प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थी की भूमि पर जबरन काश्त कर लेते हैं तथा काश्त के समय लड़ाई फंसाद होने की आशंका रहती है तथा प्रार्थी



**उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर**

विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 55/1 रकबा 3.8850 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा संख्या 59 रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

— :: आदेश :: —

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 भली-भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थी की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम मांगता पटवार मण्डल मांगता तहसील धोरीमन्ना के खाता संख्या 6 के खसरा संख्या खसरा नम्बर 55/1 रकबा 3.8850 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा संख्या 59 रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर, सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे-खर्चे से उसके खसरा नम्बर 55/1 रकबा 3.8850 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा संख्या 59 रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।



(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक - 20.03.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर